न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	73/2024
दायर दिनांक	:	12.12.2024
निर्णय दिनांक	:	11.06.2025

1. रघुनाथ पुत्र श्योराम जाति माली, निवासी जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
2. श्योराम पुत्र रामनारायण जाति माली, निवासी जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
3. रामकिशोर पुत्र लालचन्द जाति माली, निवासी जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
4. घनश्याम पुत्र लालचन्द जाति माली, निवासी जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
5. हनुमान पुत्र लालचन्द जाति माली, निवासी जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा के खसरा नम्बर 916 चारागाह भूमि में से 0.75 है. भूमि गै.मु. आबादी प्रयोजनार्थ श्रीमान् जिला कलक्टर महो. के आदेश क्रमांक राजस्व/92/153 दिनांक 06.01.1993 के द्वारा आबादी हेतु आरक्षित/सैटअपार्ट की गयी थी। उक्त आबादी भूमि का पट्टा प्रार्थी संख्या 1, 2 एवं 3 लगायत 5 के पिता लालचन्द पुत्र रामनारायण के नाम जारी किया गया है। उक्त आबादी हेतु आरक्षित की गयी भूमि के नक्शा ट्रेस जो जिला कलक्टर महो. द्वारा प्रमाणित किया हुआ है, के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व पटवारी हल्का ने नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं की है। तत्पश्चात् वर्ष 2019 में किये गये सेग्रीगेशन में उक्त आबादी हेतु आरक्षित की गयी भूमि का नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम अंकित कर दी गई है। उक्त आबादी हेतु आरक्षित की गयी भूमि में जिला कलक्टर महो. द्वारा प्रमाणित नक्शा ट्रेस के अनुरूप प्रार्थीगण का मौक पर कब्जा है व उसी के अनुरूप ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं। इसलिए उक्त नक्शा ट्रेस में तरमीम का दुरुस्तीकरण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती करने के संबंध में ग्राम पंचायत जीरोता कलां द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को आदेश फरमाया जावे कि ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा के खसरा नम्बर 916 चारागाह भूमि में से 0.75 है. भूमि गै.मु. आबादी प्रयोजनार्थ हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महो. के आदेश क्रमांक राजस्व/92/153 दिनांक 06.01.1993 के द्वारा आबादी हेतु आरक्षित/सैटअपार्ट की गई थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 916/1 है का नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरुस्त की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जीरोता खुर्द के खसरा नम्बर 916 चारागाह भूमि में से 0.75 है. भूमि गै.मु. आबादी प्रयोजनार्थ श्रीमान् जिला कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:42 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज.)

महो० के आदेश क्रमांक राजस्व/92 दिनांक 06.01.1993 के द्वारा आबादी हेतु आरक्षित/सेटअपार्ट की गई थी। उक्त आबादी हेतु सेट अपार्ट की गई भूमि की तरमीम DILRMP योजना के तहत् की गयी है। उक्त तरमीम मुताबिक आवंटन आदेश के संलग्न नक्शे के भिन्न है। मुताबिक आवंटन आदेश तरमीम दुरुस्ती हेतु ग्राम पंचायत जीरोता खुर्द द्वारा अनापत्ति जारी कर रखी है। मुताबिक आवंटन आदेश के संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम जिरोता खुर्द तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 916/1 रकबा 0.75 है० के वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरुस्ती का अनुतोष चाहा गया है। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया है कि ग्राम जिरोता खुर्द के खसरा नम्बर 916 चारागाह भूमि में से 0.75 है० भूमि गै.मु० आबादी प्रयोजनार्थ श्रीमान् जिला कलक्टर महो० दौसा के आदेश क्रमांक राजस्व/92 दिनांक 06.01.1993 के द्वारा आबादी हेतु आरक्षित/सेटअपार्ट की गई थी। उक्त आबादी हेतु सेट अपार्ट की गई भूमि की तरमीम मुताबिक आवंटन आदेश के संलग्न नक्शे के भिन्न है। मुताबिक आवंटन आदेश तरमीम दुरुस्ती हेतु ग्राम पंचायत जीरोता खुर्द द्वारा अनापत्ति जारी कर रखी है। इसके साथ ही तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में उक्त तरमीम मुताबिक आवंटन आदेश के संलग्न नक्शा अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित बताया है। ऐसी स्थित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम जिरोता खुर्द तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 916/1 रकबा 0.75 है० जो कि श्रीमान् जिला कलक्टर महो० दौसा के आदेश क्रमांक राजस्व/92 दिनांक 06.01.1993 द्वारा आबादी हेतु आरक्षित/सेटअपार्ट की गई थी, के वर्तमान नक्शा ट्रेस में की गयी तरमीम को उक्त आवंटन आदेश दिनांक 06.01.1993 के संलग्न नक्शा अनुसार दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधि... उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:42 IST
Reason: SelfAttested